भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2702

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

दूरस्थ वन एवं जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण

2702 श्रीमती महुआ माजी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरस्थ वन एवं जनजातीय गांवों में केवल मुख्य विद्युत ग्रिड के विस्तार की प्रतीक्षा के कारण विश्वसनीय विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों की राज्य-वार संख्या का आकलन किया गया है;

(ख) क्या ऐसे गांवों के लिए सौर ऊर्जा, बैटरी तथा स्थानीय माइक्रो-ग्रिड आधारित ऊर्जा सुलभ गारंटी मॉडल' विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या झारखंड के दुर्गम वनों में स्थित गांवों में 24 घंटे आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस मॉडल का प्रायोगिक कार्यान्वयन किया जाएगा?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है।

भारत सरकार वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिन्हित

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों सहित 13.65 लाख शेष घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) परिवारों; धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी); प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित घरों सहित जहां कहीं भी व्यवहार्य पाया जाता है, आरडीएसएस के अंतर्गत, शेष 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6.521 करोड़ रु. के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत 52,071 घरों (पीएम-जनमन के तहत 15,736 घर और डीए-जेजीयूए के तहत 36,335 घर) के लिए विद्युतीकरण कार्य भी शुरू किए गए हैं। दिनांक 23.07.2026 की स्थिति के अनुसार, आरडीएसएस के तहत 4.88 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) एवं (ग): इस मंत्रालय में गांवों के लिए 'ऊर्जा पहुंच गारंटी मॉडल' विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पीवीटीजी और जनजातीय बस्तियों/गांवों में गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए पीवीटीजी क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) के सौरीकरण और ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से चिन्हित जनजातीय बस्तियों/गांवों में, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, सार्वजनिक संस्थानों के सौरीकरण के लिए पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना [पीवीटीजी और जनजातीय बस्तियों/गांवों के लिए] कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) ने सूचित किया है कि झारखंड सरकार, झारखंड के दुर्गम और अविद्युतीकृत गांवों को विश्वसनीय 24x7 आवश्यक विद्युत प्रदान करने के लिए 100% राज्य वित्त पोषण के साथ "मिनी/माइक्रो ऑफ ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से गैर-विद्युतीकृत गांवों का ग्रामीण विद्युतीकरण" योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, बैटरी बैकअप के साथ ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र एक समर्पित वितरण नेटवर्क और आंतरिक घरेलू वायरिंग के साथ स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में झारखंड में कुल 859 मिनी-ग्रिड कार्यशील हैं और राज्य के दुर्गम दूरदराज के जंगलों और आदिवासी गांवों को बिजली प्रदान कर रहे हैं।
